क्रम-संख्या—222

रजि0 नं0 एल0डब्लू0/एल0पी0 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0पी0-41

लाइसेंन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मई, 2000

ज्येष्ठ 3, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1365/सत्रह-वि-1—1 (क) 21-2000

लखनऊ, 24 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 22 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (छ) में शब्द "प्रथम श्रेणी" के स्थान पर शब्द "वातानुकूलित टू टायर" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक में शब्द "प्रथम श्रेणी" के स्थान पर शब्द "वातानुकूलित टू टायर" रख दिये जायेंगे।

धारा 17-क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 17-क में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिये भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।"

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1365 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 21-2000

Dated, Lucknow, May 24, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 22, 2000.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2000

[U. P. Act no. 25 of 2000]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

It is hereby enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2000.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (*g*) *for* the words "first class", the words "air-conditioned two-tier" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), in the second proviso, *for* the words "first class", the words "air-conditioned two-tier" shall be *substituted*.

Amendment of section 17-A

4. In section 17-A of the principal Act, the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that if the advance granted to any such member for one purpose and the interest due thereon has been repaid, the member may be granted advance for the other purpose."

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 60 सा० विधा०-(658)--2000--850 (मेक०)।

(158)